

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प रावल खेडा

प्रकरण संख्या/ 666/2021

दिनांक :- 27-10-2021

उनवान

श्री राजेन्द्र कुमा पुत्र मोतीलाल  
भीला नि. रामगर

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश :::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,  
पटवारी हल्का रावल खेडा भू. अ. नि. पहालपु एवं नायब तहसीलदार  
/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राखिया खेडा प. ह. रावल खेडा  
की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2016-79 के खाता संख्या 30, 39, 76 में  
प्रार्थीगण की प्रविष्टि राजेन्द्र पुत्र मोतीलाल भीला  
के स्थान पर राजेन्द्र कुमा पुत्र मोतीलाल भीला  
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश  
जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

h  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमा पुत्र मोतीलाल भीला नि. रामगर
3. रक्षित पत्रावली

h  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा